50

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष– एम0 के0 सिंह,
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1147–पीबीआर/2004 विरूद्ध आदेश, दिनाक 17–9–1997 पारित द्वारा अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 36/85–86 अपील.

सावित्री देवी पत्नी देवीदयाल
निवासी मिहोना तहसील मिहोना
जिला भिण्ड

.....आवेदक

विरूद्ध

1 महिला लपवाहावाली विधवा मातादीन
2 रघुवर
3 श्री राम
4 श्यामसुन्दर
कमांक 2 से 4 पुत्रगण मातादीन
5 महिला रामूमति पत्नी श्रीराम
6 कमलेश कुमार पुत्र देवीदयाल
निवासीगण मिहोना तहसील मिहोना जिला भिण्ड

–अनावेदकगण

श्री एस0 के0 वाजपेयी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एस0 के0 अवस्थी, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनाक 6-7-2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 35/85–86/अपील में पारित आदेश दिनांक 17–9–1997 के विरूद्ध म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गयी है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता सावित्री देवी द्वारा तहसीलदार लहार के न्यायालय में संहिता की धारा 190, 110 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाकर यह अनुरोध किया गया कि ग्राम मिहोना में स्थित भूमि सर्वे कमांक 12/3 रकबा 0.470 हैक्टेयर पर माननीय व्यवहार न्यायालय वर्ग–2 लहार के प्रकरण कमांक 670/72 इ0दी0 में पारित आदेश दिनांक 11–7–75 से प्रेमकुंवर बेवा दीनदयाल एवं मातादीन पुत्र रामरतन निवासी मिहोना के बजाय उक्त विवादित भूमि पर शिकमी काश्तकार लंबे समय से होने के आधार पर भूमिस्वामी स्वत्व उद्‌भूत हो चुके हैं, भूमिस्वामी के रूप में राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जाय । तहसीलदार लहार द्वारा आदेश दिनांक 27–1–81 से निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को इस आधार पर निरस्त किया गया कि विवादित भूमि सर्वे कमांक 12/3 रकबा 0.470 हैक्टेयर माननीय व्यवहार न्यायालय के प्रकरण में विवादित नहीं था । तहसीलदार लहार द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–1–81 से परिवेदित होकर निगरानीकर्ता द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी, लहार के न्यायालय में प्रस्तुत की गयी । अनुविभागीय अधिकारी, लहार द्वारा प्रकरण कमांक 35/80–81/अपील माल पर दर्ज करते हुये आदेश दिनांक 31–5–85 से निरस्त की । उक्त आदेश से दुखी होकर निगरानीकर्ता द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जो आदेश दिनांक 17–9–97 से अस्वीकार की गयी । परिणामतः यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है ।

3/ निगरानी मेमों में उठाये गये बिन्दुओं के संबंध में उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगणों के तर्क सुने गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त प्रकरण पत्रिकाओं का समग्र रूप से परिशीलन किया गया ।

4/ निगरानीकर्ता अभिभाषक का मुख्य रूप से यह कहना कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा माननीय व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–7–75 एवं डिक्री को समझने में भूल की गयी है । माननीय व्यवहार न्यायालय में अन्य भूमियों के साथ साथ भूमि सर्वे कमांक 12/3 रकबा 0.470 हैक्टेयर के संबंध में भी घोषणा की गयी थी । अभिलेख को देखने से यह प्रकट है कि निगरानीकर्ता अभिभाषक द्वारा किये गये इस अभिकथन के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य अथवा प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जा सका जिसके फलस्वरूप निगरानीकर्ता अभिभाषक द्वारा किये जा रहे अभिकथन को बल प्राप्त होता हो । प्रमाण भार उसी व्यक्ति को जाता है, जिसके द्वारा लाभ प्राप्त किया जा रहा है । निगरानीकर्ता प्रकरण में ठोस साक्ष्य अथवा प्रमाण प्रस्तुत करने में असफल रही है । साक्ष्य के अभाव में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों में हस्तक्षेप किये जाने का कोई न्यायोचित आधार नहीं है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर विचारण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, लहार एवं अपर आयुक्त चंबल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेशों में हस्तक्षेप किये जाने का कोई कारण परिलक्षित न होने से यथावत रखे जाते है और प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने के कारण निरस्त की जाती है ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश
ग्वालियर